न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :— 11/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2022/34

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
मदन के वारिसान 1/1.संगीतादेवी बेवा मदन 1/2.राहुल पुत्र मदन 1/3.डिम्पल पुत्री मदन 1/4.नरेन्द्रकुमार पुत्र मदन नाबालिग जरिए कुदरती वली माता संगीतादेवी बेवा मदन जाति मेगवाल व निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.भरत पुत्र नरसींगाराम जाति मेगवाल व निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 3.सोमती पुत्र नरसींगाराम पत्नी खंगाराराम जाति मेगवाल व निवासी टापरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 4.अनिता पुत्री नरसींगाराम पत्नी अर्जुन जाति मेगवाल व निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 5.भावना पुत्री नरसींगाराम पत्नी कलाराम जाति मेगवाल व निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 6.पुष्पा पुत्री नरसींगाराम 7.दिनेश पुत्र गुलाबाराम 8.सुरेन्द्र पुत्र गुलाबाराम 9.खुशबु पुत्री गुलाबाराम 10.एकता पुत्री गुलाबाराम जाति मेगवाल व निवासी जसोल	1.नरसिंगाराम पुत्र करनाराम 2.गुलाबाराम पुत्र करनाराम 3.लिखमाराम पुत्र करनाराम 4.दलाराम उर्फ ढ़लाराम पुत्र करनाराम 5.हरीराम पुत्र उदाराम 6.डायाराम पुत्र उदाराम 7.जालराम पुत्र उदाराम 8.सांवलराम पुत्र उदाराम 9.छगनाराम पुत्र अचलाराम 10.खीमाराम पुत्र नैनाराम 11.हेमाराम पुत्र नैनाराम 12.बुधाराम पुत्र नैनाराम 13.जैसाराम पुत्र नैनाराम 14.गंगाराम पुत्र कोजाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 15.उमाराम पुत्र रामाराम जाति मेगवाल निवासी गुगडी,बागुण्डी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 16.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा
बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

11.ममता पुत्री गुलाबाराम पत्नी मांगाराम जाति मेगवाल व निवासी कुशीप तहसील सिवाना व जिला बालोतरा

12.सोहन पुत्र लिखमाराम

13.मुकेश पुत्र लिखमाराम

14.देवी पुत्री लिखमाराम

15.मंजु पुत्री लिखमाराम

16.कमलेश पुत्र डलाराम उर्फ ढलाराम

17.मिनाक्षी पुत्री डलाराम उर्फ ढलाराम

18.धर्मेन्द्र पुत्र डलाराम उर्फ ढलाराम नाबालिग

19.नगीना पुत्री डलाराम उर्फ ढलाराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा,वादी संख्या 18 व 19 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता दरियादेवी पत्नी डलाराम उर्फ ढलाराम

20.नीलम पुत्री हरीराम पत्नी वगताजीजाति मेगवाल व निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

21.ललित पुत्र हरिराम

22.दिलीप पुत्र हरिराम

23.धर्मेन्द्र पुत्र हरिराम

24.देवी पुत्री डायाराम

25.मुकेश पुत्र डायाराम

26.लता पुत्री डायाराम

27.मोनिका पुत्री डायाराम

28.जसोदा पुत्र डायाराम

29.मनीषा पुत्री डायाराम

वादी संख्या 26 से 29 नाबालिग

जरिए कुदरती वलीया माता धापु देवी

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

पत्नी डायाराम 30.अनिता पुत्री जालाराम 31.मगराज पुत्र जालाराम 32.भागीरथ पुत्र जालाराम नाबालिग जरिए कुदरती वली माता गोमती पत्नी जालाराम जाति मेगवाल व निवासी जसोल तहसील पचपदरा	

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1.श्री सोहनलाल बारूपाल अधिवक्ता वादीगण

2.श्री जूंजाराम पटेल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 08 व 11, 13 अनुपस्थित।

3.श्री महावीर जीनगर अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 से 07 व 09, 10 व 12, 14 अनुपस्थित।

4.प्रतिवादी संख्या 15 व 16 एकतरफा।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) ...तरा

निर्णय

दिनांक 30.01.2026

1. संक्षिप्त में वादपत्र के संसुगत तथ्य इस प्रकार है कि कि वादीगण के पड़दादा कोजाजी व प्रतिवादी संख्या 01 से 13 के दादा कोजाजी व प्रतिवादी संख्या 14 के पिता कोजा पुत्र पदमा की संयुक्त हिन्दू खानदान् की अविभाजित पैतृक कृषि भूमि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि अवस्थित थी। वादी संख्या 01 से 19 के दादा करनाराम थे तथा वादी संख्या 20 से 32 के दादा उदाराम के जीवनकाल में अपने दादा की संपति में पौत्र–पौत्रियों का जन्म लेते ही हक अधिकार प्राप्त हो गए थे,लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने करनाराम व उदाराम के फौतदगी नामान्तकरण गलत व अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 01 से 14 के नाम दायर कर दिए गए। जबकि वादीगण के दादा करनाराम के हक हिस्से 1/5 में वादी संख्या 1 से 19,प्रतिवादी संख्या 01 से 4 के साथ 1/5 हिस्से के खातेदार व वादी संख्या 20 से 32 अपने दादा उदाराम के हक हिस्से की भूमि 1/5 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 05 से 08 के साथ खातेदार घोषित होने के हकदार है। इसके उपरांत भी अवैध प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 से 07 ने प्रतिवादी संख्या 15 को दिनांक 24.08.2021 को अवैध बैचान कर दिया गया,लेकिन उक्त बेचाननामा प्रारम से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण वादीगण के हक हिस्से तक

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रभावहीन रहेगा। अतं वादीगण का वाद स्वीकार कीया जाकर ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 से 06 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 07 से 11 को प्रतिवादी संख्या 02 के साथ 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 12 से 15 को प्रतिवादी संख्या 03 के साथ 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 16 से 19 को प्रतिवादी संख्या 04 के साथ 1/20,वादी संख्या 20 से 23 को प्रतिवादी संख्या 05 के साथ 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 24 से 29 को प्रतिवादी संख्या 06 के साथ 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 30 से 32 को प्रतिवादी संख्या 07 के साथ 1/20 हिस्सा भूमि का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 15 के पक्ष में हुआ बेचाननामा वादीगण ने हको के विरूद्ध शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। वादीगण की सहखातेदारी घोषणा के बाद वादीगण के हिस्से भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बटंवाड़ा प्रस्ताव मगंवाया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 15 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण को बेदखल नही करने हेतु वादपत्र पेश किया गया है।

2. वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया,प्रतिवादी के सम्मन तामील शुदा प्राप्त हुए। प्रतिवादी संख्या 15 बावजूद रजिस्ट्री सम्मन तामीली के उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही पारित की गई। प्रतिवादी संख्या 08 व 11, 13 की ओर से अधिवक्ता श्री जूजांराम पटेल द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अधिवक्ता श्री महावीर जीनगर ने प्रतिवादी संख्या 01 से 07 व 09, 10 व 12, 14 की तरफ से वकालातनामा पेश किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ताओ को जवाब पेश करने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नहीं किए जाने के कारण जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या 16 बावजूद सुनवाई का अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित रहे।

3. प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण विवाद के बिन्दू निहित नहीं होने से वादी का वाद–पत्र में वांछित अनुतोष ही तनकीयात मानी गई। वादी की ओर से वाद–पत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य गवाह में वादी साक्ष्य में PW.01 सोहन द्वारा लिखित बयानात् स्वरूप शपथ–पत्र पेश किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 01 वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रति,प्रदर्श 02 में वादग्रस्त भूमि का नक्शा प्रति व प्रदर्श 03 बेचाननामा दिनांक 24.08.2021 की प्रमाणित प्रति प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी पक्ष द्वारा साक्ष्य गवाही नही करवाने के कारण प्रतिवादी साक्ष्य बंद की गई।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

4. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी। वादीगण अधिवक्ता ने वादपत्र के तथ्यो को दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया था,कि वादीगण के पड़दादा कोजाजी व प्रतिवादी संख्या 01 से 13 के दादा कोजाजी व प्रतिवादी संख्या 14 के पिता कोजा पुत्र पदमा की संयुक्त हिन्दू खानदान् की अविभाजित पैतृक कृषि भूमि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि अवस्थित थी। वादी संख्या 01 से 19 के दादा करनाराम थे तथा वादी संख्या 20 से 32 के दादा उदाराम के जीवनकाल में अपने दादा की संपति में पौत्र–पौत्रियों का जन्म लेते ही हक अधिकार प्राप्त हो गए थे। लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी ने करनाराम व उदाराम के फौतदगी नामान्तकरण गलत व अवैध तरीके से प्रतिवादी संख्या 01 ता 14 के नाम दायर कर दिए गए। जबकि वादीगण के दादा करनाराम के हक हिस्से 1/5 में वादी संख्या 1 से 19, प्रतिवादी संख्या 01 से 4 के साथ 1/5 हिस्से के खातेदार व वादी संख्या 20 से 32 अपने दादा उदाराम के हक हिस्से की भूमि 1/5 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 05 ता 08 के साथ खातेदार घोषित होने के हकदार है। फिर भी अवैध प्रविष्टि के आधार पर प्रतिवादी संख्या 01 से 07 ने प्रतिवादी संख्या 15 को दिनांक 24.08.2021 को अवैध बैचान कर दिया गया,लेकिन बेचाननामा प्रारम से ही शून्य एवं निष्प्रभावी होने के कारण वादीगण के हक हिस्से तक प्रभावहीन रहेगा। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे ओर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी का कोई भौतिक रूप से कब्जा–काश्त नहीं है,केवलमात्र अवैध प्रविष्टि का नाजायज फायदा उठाकर गलत रूप से बोकस बेचान किया गया है,जो कि वादीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शून्य है। वादीगण ने अपने साक्ष्य सबूतो के आधार पर भी साबित किया है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है। पुश्तैनी भूमि में जन्म से ही पौत्र–पौत्रियो के हक अधिकार पैदा हो जाते है। अतं में निवेदन किया कि वादीगण का वाद स्वीकार कीया जाकर ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि में वादी संख्या 01 से 06 को प्रतिवादी संख्या 01 के साथ 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 07 से 11 को प्रतिवादी संख्या 02 के साथ 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 12 से 15 को प्रतिवादी संख्या 03 के साथ 1/20 हिस्सा,वादी संख्या 16 से 19 को प्रतिवादी संख्या 04 के साथ 1/20,वादी संख्या 20 से 23 को प्रतिवादी संख्या 05 के साथ 1/20 हिस्सा,वादी संख्या 24 से 29 को प्रतिवादी संख्या 06 के साथ 1/20 हिस्सा, वादी संख्या 30 से 32 को प्रतिवादी संख्या 07 के साथ 1/20 हिस्सा भूमि का सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 15 के हक में हुआ बेचाननामा वादीगण ने हको के विरूद्ध शून्य एवं प्रभावहीन घोषित किया जावे। बाद वादीगण की सहखातेदारी घोषणा के बाद वादीगण भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् बटंवाड़ा प्रस्ताव मगंवाया जावे तथा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

प्रतिवादी संख्या 15 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादीगण को बेदखल नहीं करे।

5. हमनें वादीगण अधिवक्ता की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड,दस्तावेजात एवं बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। वादीगण अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य उजर उठाया कि ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की पुश्तैनी संयुक्त हिन्दू खानदान की अविभाजित भूमि वादीगण के पड़दादा कोजाजी व प्रतिवादी संख्या 01 से 13 के दादा कोजाजी की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि अवस्थित थी। वादीगण के पड़दादा कोजाजी के फौत होने पर उनके वारिसान् करना व उदाराम की खातेदारी में दर्ज हुई। वादी संख्या 01 से 19 के दादा करनाराम थे तथा वादी संख्या 20 से 32 के दादा उदाराम थे। इस प्रकार पुश्तैनी भूमि में दादा के जीवनकाल में पौत्र–पौत्रियों का वादग्रस्त भूमि में हक हकूक पैदा हो गए थे,इसके वावजूद भी प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के नाम वादग्रस्त भूमि सयुंक्त खातेदारी में दर्ज हुए और वादीगण को उनके हक हकूको से महरूम रख दिया गया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 01 से 07 द्वारा अपने हक हकूको से अधिक हिस्सा का बेचान प्रतिवादी संख्या 14 को कर दिया गया,जो कि अवैध बेचान होने से वादीगण के हक हिस्से तक प्रारम्भ से ही शून्य एवं निष्प्रभावी श्रेणी में है। अतं वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के साथ माफिक वादपत्र मे चाहे गए मांग अनुरूप हिस्सेनुसार सहखातेदार घोषित किया जाकर बटंवाड़ा प्रस्ताव मगंवाया जाने का अनुतोष चाहा गया। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी संवत 2074–2077 ग्राम तेमावास तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 52 रकबा 27.02 बीघा भूमि के सहखातेदारान द्वारा वादग्रस्त भूमि का बेचान करने के कारण नामान्तकरण संख्या 1076/02.11.2021 व नामान्तकरण संख्या 1096, 1098 एंव नामान्तकरण संख्या 1099 के द्वारा संपूर्ण खाता प्रतिवादी संख्या 15 उमाराम पुत्र रामाराम कौम मेगवाल साकिन गुगडी,बागुण्डी खातेदार दर्ज हुए,जो बेचानपत्र दिनांक 24.8.2021 से भी प्रतीत होता है। वादी संख्या 1 से 6 प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान है,वादी संख्या 7 से 11 प्रतिवादी संख्या 2 के वारिसान है,वादी संख्या 12 से 15 प्रतिवादी संख्या 3 के वारिसान है,वादी संख्या 16 से 19 प्रतिवादी संख्या 4 के वारिसान है,वादी संख्या 20 से 23 प्रतिवादी संख्या 5 के वारिसान है,वादी संख्या 24 से 29 प्रतिवादी संख्या 6 के वारिसान है, वादी संख्या 30 से 32 प्रतिवादी संख्या 7 के वारिसान है,जैसा कि पत्रावली मे दर्शित वंश वृक्षावली से पता चलता है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 7 से हक हिस्सा प्राप्ति के लिए अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 द्वारा अपनी ओर से अधिवक्ता भी मुकर्रर किया गया था तथा प्रतिवादी अधिवक्ता को जवाब पेश किए

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

जाने के पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी जवाब पेश नही किए जाने पर जवाब बन्द किया गया तथा प्रतिवादी पक्ष द्वारा साक्ष्य गवाही भी नही करवाए गए। तत्कालीन खातेदारान द्वारा वादग्रस्त भूमि को प्रतिवादी संख्या 15 को बेचान करने के बाद उनके ही वारिसान द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबध मे वाद पेश किया गया है,जबकि तत्कालीन खातेदारान प्रतिफल राशि प्राप्त कर भूमि को बेचान की गई है तथा संयुक्त परिवार का मुखिया अपने परिवार के भरण पोषण व परिवार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विक्रय कर सकता है। विक्रय–पत्र में भी तत्कालीन विक्रेताओं (प्रतिवादी) द्वारा पैराज संख्या 1 में स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पर हमारा कब्जा व हक हिस्सा खातेदारी का है। हमारे अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति का कब्जा व हक खातेदारी का नही है तथा पैराज संख्या 5 में भी स्वीकार किया है कि कब्जा क्रेता को करवा दिया है। उक्त खातेदारी भूमि हक हिस्सा बेचान पर अब आज से हमारा व हमारी आल–औलाद आदि का कोई कब्जा व हक खातेदारी का नहीं रहेगा तथा पैराज संख्या 8 मे भी लिखत है कि उक्त खातेदारी भूमि हक हिस्सा बेचान के संबध मे जो व्यक्ति उजर या एतराज करेगा तो समय पर जवाबदेही व पेरोकारी हम स्वंय हमारे खर्चे से आपके पक्ष में करेगे तथा बयान व सबूत भी हम आपके पक्ष मे देवेगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि विक्रय–पत्र की शर्तो से प्रतिवादी पक्ष मुकर्ररर नही सकते है,लेकिन इसके उपरांत भी अपनी ओर से अधिवक्ता नियुक्ति करने के बाद भी वादपत्र मे कोई लिखित कथन पेश नही किया गया है। इस प्रकार वादीगण की ओर से वादपत्र स्वच्छ हाथो से नही लाए गए है। केवलमात्र प्रतिवादी के विरोध नही करने मात्र से वादीगण राहत प्राप्त नही कर सकते है। इसके लिए दस्तावेजी साक्ष्य सबूत होना आवश्यक होता है,जो कि वादीगण पेश करने मे सफल नही रहे है।

अनुतोष:–उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादीगण के वाद–पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

:निर्णयः

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादीगण अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा जारी हो।

(अशोक कुमार) 30/01/2026
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 30.1.2026 को लिखा जाकर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

30/01/2026
सहायक कलक्टर
(S.D.O. बालोतरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः— अशोक कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 11 / 2022

जी.सी.एम.एस. नम्बर :— 2022 / 34

वादीगण बनाम प्रतिवादीगण

वादीगण	प्रतिवादीगण
मदन के वारिसान 1 / 1.संगीतादेवी बेवा मदन 1 / 2.राहुल पुत्र मदन 1 / 3.डिम्पल पुत्री मदन 1 / 4.नरेन्द्रकुमार पुत्र मदन नाबालिग जरिए कुदरती वली माता संगीतादेवी बेवा मदन जाति मेगवाल व निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.भरत पुत्र नरसींगाराम जाति मेगवाल व निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 3.सोमती पुत्र नरसींगाराम पत्नी खंगाराराम जाति मेगवाल व निवासी टापरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 4.अनिता पुत्री नरसींगाराम पत्नी अर्जुन जाति मेगवाल व निवासी असाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 5.भावना पुत्री नरसींगाराम पत्नी कलाराम जाति मेगवाल व निवासी बुड़ीवाड़ा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 6.पुष्पा पुत्री नरसींगाराम 7.दिनेश पुत्र गुलाबाराम 8.सुरेन्द्र पुत्र गुलाबाराम 9.खुशबु पुत्री गुलाबाराम	1.नरसिंगाराम पुत्र करनाराम 2.गुलाबाराम पुत्र करनाराम 3.लिखमाराम पुत्र करनाराम 4.दलाराम उर्फ ढ़लाराम पुत्र करनाराम 5.हरीराम पुत्र उदाराम 6.डायाराम पुत्र उदाराम 7.जालराम पुत्र उदाराम 8.सांवलराम पुत्र उदाराम 9.छगनाराम पुत्र अचलाराम 10.खीमाराम पुत्र नैनाराम 11.हेमाराम पुत्र नैनाराम 12.बुधाराम पुत्र नैनाराम 13.जैसाराम पुत्र नैनाराम 14.गंगाराम पुत्र कोजाराम जाति मेगवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 15.उमाराम पुत्र रामाराम जाति मेगवाल निवासी गुगडी,बागुण्डी तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 16.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

10.एकता पुत्री गुलाबाराम जाति मेगवाल व निवासी जसोल

11.ममता पुत्री गुलाबाराम पत्नी भीमाराम जाति मेगवाल व निवासी कुशीप तहसील सिवाना व जिला बालोतरा

12.सोहन पुत्र लिखमाराम

13.मुकेश पुत्र लिखमाराम

14.देवी पुत्री लिखमाराम

15.मंजु पुत्री लिखमाराम

16.कमलेश पुत्र दलाराम उर्फ ढलाराम

17.मिनाक्षी पुत्री दलाराम उर्फ ढलाराम

18.धर्मेन्द्र पुत्र दलाराम उर्फ ढलाराम नाबालिग

19.नगीना पुत्री दलाराम उर्फ ढलाराम जाति मेघवाल निवासी जसोल तहसील पचपदरा,वादी संख्या 18 व 19 नाबालिग जरिए कुदरती वली माता दरियादेवी पत्नी दलाराम उर्फ ढलाराम

20.नीलम पुत्री हरीराम पत्नी वगताजीजाति मेगवाल व निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा

21.ललित पुत्र हरिराम

22.दिलीप पुत्र हरिराम

23.धर्मेन्द्र पुत्र हरिराम

24.देवी पुत्री डायाराम

25.मुकेश पुत्र डायाराम

26.लता पुत्री डायाराम

27.मोनिका पुत्री डायाराम

28.जसोदा पुत्र डायाराम

29.मनीषा पुत्री डायाराम

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

वादी संख्या 26 से 29 नाबालिग जरिए कुदरती वलीया माता धापु देवी पत्नी डायाराम 30.अनिता पुत्री जालाराम 31.मगराज पुत्र जालाराम 32.भागीरथ पुत्र जालाराम नाबालिग जरिए कुदरती वली माता गोमती पत्नी जालाराम जाति मेगवाल व निवासी जसोल तहसील पचपदरा		

राजस्व वाद बाबतः–88,53 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 12/2022

निर्णय दिनांक :–30.1.2026

वादीगण की ओर से श्री सोहनलाल बारूपाल अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी अधिवक्ता अनुपस्थिति,इस वाद में आज तारीख 30.1.2026 को श्री अशोक कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि**:–वादीगण वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह आज तारीख 30.1.2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

30/01/2026

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

वाद के खर्चे

वादीगण		प्रतिवादीगण	
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4..........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल	रूपया —	1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	रूपया ———
जोड़	—	जोड़	———

30/01/2026

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा